HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3057/2026

1. Anish Mohammad S/o Shri Israil, Aged About 23 Years, R/o Village Bajirka, Police Station Bagadka Tiraya, District Alwar (Raj.)
(At Present Confined In Sub Jail Deeg).
2. Talim S/o Shri Jamil @ Jimal, Aged About 23 Years, R/o Village Bajirka, Police Station Bagadka Tiraya, District Alwar (Raj.)
(At Present Confined In Sub Jail Deeg).
3. Javed S/o Shri Jakar, Aged About 47 Years, R/o Village Bhilamka, Police Station Deeg (Rajasthan)
(At Present Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Surendra Singh, Adv. Mr. Anoop Kumar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

20/02/2026

कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप वेव किये जाते हैं।

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–डीग, जिला–डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–334/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 308(2),

61(2)(a) बी.एन.एस. तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन आरोप पत्र प्रस्तुति के उपरांत नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के नाम से फर्जी सिम जारी करवाकर अनेक मोबाईल रखते हुए ऑनलाईन फर्नीचर सामान विक्रय करते हुए लोगों के साथ ठगी की, करीब 26,000/–रूपये की ठगी का आरोप है, अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अब अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. अनीश मोहम्मद पुत्र इस्राईल, 2. तालिम पुत्र जामील उर्फ जीमल तथा 3. जावेद पुत्र जाकर** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण

इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक के द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /22